न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
22 / 2020	2020 / 00054	14.09.2020	04.12.2020

उनवान

श्रीमती मोना बेदी धर्मपत्नी श्री रिपुदमन सिंह बेदी, जाति सिख, निवासी पंचशील नगर, तहसील अजमेर, जिला अजमेर।

प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित:–

श्री अजीत सिंह राठौड़, वकील, प्रार्थीया।

पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 132,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 132,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के आधार खसरा नम्बर 1778 का रकबा 0.63 हैक्टयर के स्थान पर 0.20 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 1779 में रकबा 0.[illegible] हैक्टयर के स्थान पर 0.63 हैक्टयर दुरूस्त कर तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.04.12 10:45:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया की सहखातेदारी / सहकाश्तकारी की आराजीयात ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर में अवस्थित है, जिसका वर्णन आधार जमाबन्दी के अनुसार निम्न प्रकार है :–

व.ख.नं.	रकबा	आ.ख.नं.	रकबा	किस्म
848	05–18–00	1778	0.20	चाही उत्तम
		1779	0.63	चाही उत्तम
		1779 / 2895	0.01	चाह
		1805 / 2477	0.07	चाही उत्तम
858	00–12–00	1801	0.02	बारानी–1
		1802	0.03	बारानी–1
कुल योग		कुल किता 06	कुल रकबा 0.96 हैक्टेयर	

उपरोक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थीया का क हिस्सा 3 / 16 निहित है।

वर्किंग जमाबन्दी के अनुसार वर्किंग खसरा नम्बर 848 का रकबा 05–18–00 बीघा उल्लिखित है जिसका वर्किंग नक्शा ट्रेस व आधार नक्शा ट्रेस प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत किये गये। आधार नक्शा ट्रेस में आधार खसरा नम्बर 1779 / 2895 रकबा 0.01 हैक्टयर किस्म चाह सही दर्शाया गया है एवं खसरा नम्बर 1779 भी सही दर्शाया गया है लेकिन मिलान क्षेत्रफल में बन्दोबस्त विभाग द्वारा खसरा नम्बर 1779 का रकबा नक्शा ट्रेस के मुकाबले कम दर्शाया गया है अर्थात् 0.63 हैक्टयर के बजाय 0.20 हैक्टयर दर्शाया गया है। इसी प्रकार वर्किंग खसरा नम्बर 848 से ही बने आधार खसरा नम्बर 1778 का रकबा मिलान क्षेत्रफल में बन्दोबस्त विभाग द्वारा नक्शा ट्रेस के मुकाबले अधिक दर्शाया गया है अर्थात् 0.20 हैक्टयर के स्थान पर 0.63 हैक्टयर अंकित कर दिया है जबकि नक्शा ट्रेस में सही दर्शित है लेकिन मिलान क्षेत्रफल में आधार खसरा नम्बर 1778 का रकबा 0.20 हैक्टयर खसरा नम्बर 1779 में अंकित कर दिया गया एवं खसरा नम्बर 1779 का रकबा 0.63 हैक्टयर खसरा नम्बर 1778 में दर्ज कर दिया गया है। उक्त लिपिकीय त्रुटि के कारण जमाबन्दी में भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण रकबे अंकित हो गए हैं।

आधार नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 1778 एवं खसरा नम्बर 1779 का माप सही दर्शित किया गया, मात्र मिलान क्षेत्रफल में हुई लिपिकीय [illegible] अधिकार अभिलेख में भी उक्त त्रुटि यथावत् अंकित कर दी गई है। अतः उक्त [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में यथा मिलान क्षेत्रफल एवं आधार जमाबन्दी में आधार खसरा नम्बर 1778 का रकबा 0.63 हैक्टयर के स्थान पर 0.20 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 1779 में रकबा 0.20 हैक्टयर के स्थान पर 0.63 हैक्टयर दुरुस्त करने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.04.12 10:45:34 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 1 (तहसीलदार) द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

पैरोकार सरकार द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि :—

निम्न सारणी में मिलान दर्शाया गया है जो मिसल अनुसार निम्न प्रकार से है —

व.ख.नं.	रकबा	आ.ख.नं.	रकबा	किस्म
848 मि.	0.63	1778	0.63	चा.उ.बी
848 मि.	0.20	1779	0.20	चा.उ.बी
848 मि.	0.01	1779/2895	0.01	चाह
848 मि.	0.06	1805/2477	0.06	चाही उत्तम
858 मि.	0.02	1801	0.02	बारानी 1
858 मि.	0.03	1802	0.03	बारानी 1

तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट के अनुसार " ***नक्शानुसार खसरा नम्बर 1778 रकबा 0.63 के स्थान पर 0.20 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1779 रकबा 0.20 के स्थान पर 0.63 हैक्टेयर किया जाना उचित है। चूंकि साबिक मूल खसरा नम्बर 848 से बने है एवं दोनों हाल खसरा नम्बर एक ही खाते में दर्ज होने से शुद्धि करने पर किसी खातेदार का हित प्रभावित नहीं होगा।"***

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पुष्कर, तहसील पुष्कर की आधार नक्शा ट्रेस/अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खसरा नम्बर 1778 रकबा 0.20 है. व खसरा नम्बर 1779 रकबा 0.63 है. दर्शाया गया है। जिसकी वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस/अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खसरा नम्बर 1778 रकबा 0.6300 है. व खसरा नम्बर 17[illegible] रक[illegible] 0.2000 है. साथ ही मिलान क्षेत्रफल में खसरा नम्बर 1778 रकबा 0.63 है. व खसरा [illegible] 1779 रकबा 0.20 है. में भी गलत अंकन दर्शाया गया है, जिसकी शुद्धि करना न्यायहित में आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.04.12 10:45:34 IST
Reason: SelfAttested

04/12/2020

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है। ग्राम पुष्कर, तहसील पुष्कर के वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस/अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खसरा नम्बर 1778 रकबा 0.6300 है. व खसरा नम्बर 1779 रकबा 0.2000 है. के साथ ही मिलान क्षेत्रफल में खसरा नम्बर 1778 रकबा 0.63 व खसरा नम्बर 1779 रकबा 0.20 है. में भी गलत अंकन दर्शाया गया है, के स्थान पर **नवीन नक्शा ट्रेस/अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खसरा नम्बर 1778 रकबा 0.63 के स्थान पर रकबा 0.20 है. तथा खसरा नम्बर 1779 रकबा 0.20 के स्थान पर रकबा 0.63 है. तथा मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 1778 रकबा 0.63 है. के स्थान पर रकबा 0.20 है. व खसरा नम्बर 1779 रकबा 0.20 है. के स्थान पर 0.63 है. राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार पुष्कर को प्रदान किये जाते है।**

यह निर्णय आज दिनांक 04.12.2020 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

Rathore 04/12/2020

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,पुष्कर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.04.12 10:45:34 IST
Reason: SelfAttested